

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No. 07453-230410, Fax No. 07453-230244

क्रमांक एफ() एफ.सी.ए./उवस/15-16/ 3081
निमित्त:-

दिनांक :- 26/2/16

अधिशायी अभियन्ता

सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहाबाद।

विषय :- आई.आई.डी.एफ. योजना के तहत गरड़ा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु (3.98 हैक्टेयर) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु।

संदर्भ :- भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 8बी/राज/06/09/ 2015/एफ.सी./1413 दिनांक 11.02.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आई.आई.डी.एफ. योजना के तहत गरड़ा से जैसवा तक सड़क निर्माण हेतु (3.98 हैक्टेयर) वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति संदर्भित पत्रांक से जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित समस्त शर्तों की बिन्दुवार पालना कर रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रेषित करे तथा शर्त संख्या 2 एवं 3 की पालना में निम्नानुसार राशि रु. 3072262/- का डी.डी. कोटा शाखा पर देय उप वन संरक्षक, बारां के नाम जारी कर प्रेषित करे।

1. शर्त संख्या 2 के क्रम में :- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धन राशि 3.98 Ha. x 145925 रु. प्रति हेक्टर की दर से राशि रु. 580782/- जमा करावें।
2. शर्त संख्या 3 के क्रम में :- शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की राशि 3.98 Ha. x 626000/- प्रति हेक्टर की दर से राशि रु. 2491480/- जमा करावें।
3. शर्त संख्या 12 के क्रम में :- मक डिस्पोजल योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित करे ताकि आवश्यक धन राशि की मांग की जा सके।


(सुनील चिद्री)
उप वन संरक्षक
बारां